



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 470 राँची, सोमवार, 16 श्रावण, 1945 (श०)
7 अगस्त, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

21 जून, 2023

आदेश सं०-5/आरोप-1-124/2017 का.-3543--श्रीमती वन्दना भारती, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-407/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, अरगोड़ा के विरुद्ध श्री अमर दीप कुमार, पिता-सुबोध कुमार मंडल, लोअर चुटिया, समलौंग, राँची द्वारा शिकायत पत्र समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में लापरवाही एवं अनावश्यक विलंब करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5186, दिनांक 17.08.2022 एवं स्मार पत्रों द्वारा श्रीमती भारती से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्रीमती भारती के पत्रांक-49, दिनांक 26.04.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें श्रीमती भारती द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संबंधित राजस्व निरीक्षक को उनके कार्यालय पत्रांक-870, दिनांक 20.11.2017 द्वारा उक्त प्रमाण पत्र में अनावश्यक विलंब करने हेतु स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी तथा यह भी प्रतिवेदित है कि आवेदक द्वारा पुनः आवेदन देने पर नियमानुसार स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है।

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत निर्धारित समयसीमा के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत न होने पर प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दायर करने प्रावधान है तथा उक्त अधिनियम में दण्ड देने का भी प्रावधान है। परिवाद कर्त्ता को निर्धारित समयसीमा के अंदर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त न होने पर उक्त अधिनियम के आलोक में प्रथम एवं द्वितीय अपील दायर करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा अपील दायर न कर अंचल अधिकारी के विरुद्ध परिवाद पत्र समर्पित किया गया है।

अतः श्रीमती भारती के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 के वर्णित प्रावधान के आलोक में श्रीमती वन्दना भारती, तत्कालीन अंचल अधिकारी, अरगोड़ा से संबंधित उक्त परिवाद से मुक्त किया जाता है।

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
